101

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3943 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—10—2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 127/अ—6/2016—17.

.....

1—नर्मदा प्रसाद पुत्र श्री जानकी प्रसाद कुर्मी
निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2—शिवप्रसाद पुत्र श्री जानकी प्रसाद कुर्मी
निवासी ग्राम तेलिहा महतमान तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—हनुमान पुत्र श्री गरूल कुर्मी
2—शिवकुमार पुत्र श्री मोरध्वज कुर्मी
निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—10—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक नर्मदा प्रसाद तनय जानकी प्रसाद पटेल निवासी ग्राम पांती तहसील हनुमना के द्वारा ग्राम भदोहा स्थित भूमि खसरा कमांक किता 12 जुमला रकवा 2.586 है0 के अंश भाग रकवा हिस्सा 1/2 भाग यानी 1.293 है0 के संबंध में जरिये रजिस्टर्ड के आधार पर नामांतरण करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.1.17 को आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण हनुमान प्रसाद आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6.10.17 को प्रचलनशीलता का आवेदन अमान्य करते हुये प्रकरण अंतिम आदेश हेतु नियत किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर तर्क किया है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का पारित विवादित आदेश दिनांक 6.10.17 विधि विधान एवं प्रकरण पत्रिका में निहित तथ्यों व अभिलेखों में उपलब्धसाक्ष्य एवं कानूनी प्रकिया के पूर्णतः विरीत होने से प्रथम दृष्टिया ही निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के पूर्वग में स्वामी रामदास पटेल थे जिनके कोई पुत्र नहीं था केवल एम मात्र पुत्री मेहरनिया थी जिसका विवाह मुड़ी उर्फ मुड़िया पटेल से हुआ था। रामदास पटेल की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र पुत्री मेहरनिया उक्त विवादित भूमि की भूमि स्वामिनी हुई तत्पश्चात् उक्त भूमि पर स्वामिनी व आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य करती रही मेहरनिया द्वारा उक्त कृषि भूमि को जर्ये विकय पत्र दिनांक 01.10.1973 द्वारा आवेदकगण नर्मदा प्रसाद व शिवप्रसाद को विकय कर दिया था तत्पश्चात् आवेदकगण द्वारा विकय पत्र के आधार पर उक्त भूमि पर अपना नामांतरण राजस्व अभिलेखों में कराया गया। आवेदकगण के हित में हुये विकय पत्र को अभी तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और ना ही शून्य घोषित किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण को उक्त आदेश दिनांक 27.01.17 की जानकारी आदेश दिनांक से ही थी और अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 3.4.17 को प्रस्तुत की गई थी जो 67 दिन बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पेश की गई थी इस अपील में

अनावेदकगण द्वारा विलंब क्षमा हेतु धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रथम दृष्टिया ही निरस्त किया जाना था जिसे निरस्त न करने से उक्त आदेश निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अपने आदेश दिनांक 6.10. 17 में सिविल न्यायालय के प्रकरणों का उल्लेख किया है, लेकिन इन प्रकरणों में आवेदकगण के विकय पत्रों को निरस्त नहीं किया गया है, जबकि सिविल न्यायालय द्वारा आवेदकगण को अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करने का आदेश दिया गया है, जिसका आवेदकगण के हित में हुये उक्त विकय पत्र के आधार पर स्वामित्व के संबंध में कोई कानूनन प्रभाव नहीं पड़ता है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रचलनशीलता का आवेदन पत्र उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुये एवं कानूनी प्रकिया का सही रूप से पालन किये बिना गलत रूप से आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टिया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.10.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा विवादित भूमि सितरजुआ से रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई थी, मुस0 सितरजुआ ने वयवहार न्यायाधीश वर्ग 2 मऊगंज जिला रीवा के न्यायालय में अनावेदक नर्मदा प्रसाद, शिवप्रसाद पिता जानकी प्रसाद के वियद्व व्यवहारबाद प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 313ए / 98 से संस्थित होकर निर्ण दिनांक 25.10.99 से मुस0 सितरजुआ के पख में निर्णीत हुआ था जिसके निर्णय की कण्डिका 17 में स्पष्ट लेख है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वादिया दीर्घ अवधि से मुडी उर्फ मुडिया के साथ बतौर पत्नी निवास कर रही है और अभिलेख पर आई साक्ष्य से दर्शित होता हे कि वादिया को मूडी उर्फ मुडिया की पत्नी के रूप में जाना जाता रहा है इसलिये यह उपधारणा की जायेगी कि वादिया मूडी उर्फ मुडिया की विवाहित पत्नी है अभिलेख में आई साक्ष्य से यह भी स्थपित होता है कि बादग्रस्त भूमि पर मुस0 महरनिया का किसी प्रकार से अधिपतय नहीं रहा है और स्वयं उसने दूसरा विवाह कर स्वत्व का त्याग कर

दिया है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वादिया का बादग्रस्त भूमि से स्वत्व सामप्त हो गया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा आवेदकगण का प्रचलनशीलता का आवेदन निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है उनका आदेश दिनांक 6.10.17 विधि प्रकिया से उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के न्यायालय में संचालित है और प्रचलनशीलता पर आवेदन निरस्त किया गया है, वैसे भी विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया है और अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। नामांतरण का आदेश अंतिम आदेश है उसके विरूद्व अपीलीय न्यायालय में अपील ही प्रस्तुत की गई है, जो अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में संचालित है और उनके द्वारा प्रचलनशीलता का आवेदन निरस्त कर अपील प्रचलनशीलता में मान्य करते हुये, अंतिम सुनवाई हेतु नियत की गई है जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के अंतिरिम आदेश दिनांक 6.10.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 127 / अ–6 / 2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 6.10.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर